"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 752] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2019 — कार्तिक 9, शक 1941

कलेक्टर, जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 21 अक्टूबर 2019

अधिसूचना

क्रमांक / 1321 / 2019.— छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–11–95–22–पं.–02, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 03 / धारा 129 ख (1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला कोरबा के कलेक्टर द्वारा संलग्न सारणी (जिसे, इसके पश्चात् "सारणी" कहा गया है) के स्तंभ (4) में दर्शाये गये गांव या गांव के समूह के लिये जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (5) में दर्शायी गई है, सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रायोजनों के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है, तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इस स्थापित ग्राम में अधिनियम की धारा 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा। इस प्रकार गठित ग्राम पंचायतों को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्णित अधिनियम के प्रयोजन के लिये आवश्यक अन्य समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।